

:: आदेश ::

शासनादेश संख्या-371/XVIII-B-1/2024-12(5)/2023 दिनांक 23.04.2024 एवं शासनादेश संख्या-635/XVIII-B-1/2024-12(4)/2024 दिनांक 03.07.2024 एवं शासनादेश संख्या-09/XVIII-B-1/2024-12(4)/2024 दिनांक 06.01.2025 से वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य आपदा मोचन निधि अन्तर्गत प्राप्त धनराशि में से प्राकृतिक आपदा के कारण क्षतिग्रस्त निम्न कार्ययोजनाओं के मरम्मत हेतु अधिशासी अभियंता, जल संस्थान, पिथौरागढ़ को 05 कार्ययोजनाओं के सापेक्ष ₹ 6.10 लाख (₹ छः लाख दस हजार मात्र) की धनराशि निम्न प्रतिबन्धों के अन्तर्गत अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र० सं०	तहसील/ खण्ड/ग्राम का नाम/स्थान का नाम	कार्य योजना का नाम	कार्यदायी संस्था	आंगणन की लागत रु० लाख में	जिला मूल्यांकन समिति द्वारा अनुमोदित धनराशि रु० लाख में
1	2	3	4	5	6
1.	पिथौरागढ़/ विण/ गणकोट	जनपद पिथौरागढ़ के अंतर्गत गणकोट-प्रथम डब्ल्यू/एस योजना का मरम्मत कार्य।	जल संस्थान, पिथौरागढ़	2.00	1.00
2.	पिथौरागढ़/ विण/ गणकोट	जनपद पिथौरागढ़ के अंतर्गत मोरेखोला गणकोट और दुदुखोला सड़क से खुनागैर गणकोट-द्वितीय डब्ल्यू/एस योजना का मरम्मत कार्य।	जल संस्थान, पिथौरागढ़	2.00	1.00
3.	पिथौरागढ़/ विण/ बुडाली	बुडाली के तोक घट्यूड़ी अन्तर्गत घट्यूड़ी गधेरे में नैनीभनार को जाने वाली पेयजल योजना क्षतिग्रस्त मरम्मत कार्य।	जल संस्थान, पिथौरागढ़	2.00	1.00
4.	पिथौरागढ़/ विण/ जामिरखेत	घाट पम्पिंग पेयजल योजना के अन्तर्गत जामिर खेत के समीप सुरक्षात्मक कार्य।	जल संस्थान, पिथौरागढ़	3.00	1.10
5.	पिथौरागढ़/ विण/ थरकोट	घाट पम्पिंग पेयजल योजना के अन्तर्गत थरकोट झील के पास सुरक्षात्मक कार्य।	जल संस्थान, पिथौरागढ़	5.00	2.00
योग				14.00	6.10

उक्त स्वीकृत कुल ₹ 6.10 लाख (₹ छः लाख दस हजार मात्र) की धनराशि आर०टी०जी०एस० के माध्यम से सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं को उपलब्ध करायी जा रही है। अधिशासी अभियंता, जल संस्थान, पिथौरागढ़ को उपलब्ध कराई गई धनराशि के क्षतिग्रस्त कार्यों के समय के फोटोग्राफ, मरम्मत कार्य पूर्ण होने के फोटोग्राफ एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र 45 दिन में कार्य पूर्ण कर प्रत्येक दशा में सम्बन्धित उपजिलाधिकारी की संस्तुति के साथ इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। कार्यदायी संस्था द्वारा आपदा से क्षतिग्रस्त उक्त योजना को GEO Tagging से कराया जाना अनिवार्य होगा।

जनहित में राज्य आपदा मोचन निधि में आवंटित बजट के सापेक्ष अधिकतम कार्ययोजनाओं को धनराशि वितरित की जा रही है। कार्यदायी संस्था उपरोक्त स्वीकृत योजनाओं में आवंटित की जा रही धनराशि में से यदि किसी कार्य योजना का कार्य पूर्ण न होने की दशा में अवशेष धनराशि अपने विभागीय बजट व अन्य मदों से पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

1- आंगणन में उल्लिखित दरों के विश्लेषण को संबंधित विभाग को अधिशासी अभियन्ता से दरों की स्वीकृति कार्य कराने से पूर्व अवश्य प्राप्त की जाय।

(Signature)

- कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को दृष्टिगत रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करेंगे।
- 3- कार्य कराने से पूर्व संबंधित कार्यदायी संस्था स्थल का निरीक्षण कर लें तथा यह सुनिश्चित करें कि अग्रिम के रूप में उपलब्ध करायी गयी धनराशि का उपयोग जनहित में आपदा प्रभावित क्षेत्र के परिवारों की सहायता हेतु प्रभावित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य कराया जाना नितान्त आवश्यक है।
- 4- कार्य कराने से पूर्व स्थल का आवश्यकतानुसार विस्तृत आंगणन/मानचित्र गठित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ले। बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय एवं वित्तीय नियमों का पालन कड़ाई से किया जाय। जिन आंगणनों में स्लिप लिया गया इंगित अवश्य कराये जाय तथा इसका सत्यापन अधिशासी अभियन्ता स्वयं करें।
- 5- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि आंकलित/स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय। एक मद की राशि का उपयोग दूसरे मद में किसी भी दशा में न किया जाय। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता/कार्यदायी संस्था/निर्माण इकाई का होगा।
- 6- संबंधित कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित कर लें कि उक्त कार्य इसी वर्ष दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त है। स्वीकृत धनराशि नर्व निर्माण कार्यों में कदापित व्यय नहीं की जायेगी। कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित कर लें कि उक्त मरम्मत कार्य हेतु किसी अन्य विभागीय मद में कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है। यदि स्वीकृति प्राप्त हुई है, तो उसको समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि इस धनराशि में से व्यय की जायेगी तथा शेष धनराशि वापस कर दी जायेगी।
- 7- स्वीकृत की जा रही धनराशि वर्ष 2024-25 में दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त हुई सार्वजनिक/विभागीय परिसम्पत्तियों पर ही आपके द्वारा प्रस्तुत आंगणनों का तकनीकी परीक्षण उपरान्त आंकलित धनराशि के अनुसार ही खर्च की जायेगी। ध्यान रखें कि सामान्य मरम्मत के कार्य दैवी आपदा की परिधि में नहीं आते हैं। अतः स्वीकृत की जा रही सामान्य मरम्मत के कार्यों, नवनिर्माण कार्यों तथा विकास कार्यों में किसी भी दशा में व्यय न करें।
- 8- दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त कार्यों के मरम्मत हेतु स्वीकृत धनराशि के व्यय, कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति अनियमितता, गुणवत्ता तथा विभागीय मानकों की अवहेलना आदि के संबंध में जांच कर धनराशि के दुरुपयोग व अनियमित उपयोग की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध प्रथम दण्ड के रूप में वसूली, द्वितीय दण्ड के रूप में वसूली एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही तथा तृतीय दण्ड के रूप में एफ0आई0आर0 की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- 9- कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिए संबंधित कार्यदायी संस्था एवं निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहेंगे।
- 10- कार्य स्वीकृत लागत में पूर्ण कर लिये जायेंगे एवं लागत में कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा। कार्य कराते समय वित्तीय नियमों एवं टेण्डर आदि विषयक नियमों का पूर्ण अनुपालन निश्चित रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11- इस मद से कराये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व के तथा कार्य पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ एवं वीडियोग्राफ आवश्यक रूप से रिकार्ड हेतु सुरक्षित रखे जाय। कार्य की सत्यता एवं गुणवत्ता का परीक्षण संबंधित अधिशासी अभियन्ता द्वारा किया जायेगा। तदनुसार ही संबंधित कार्य दायी संस्था को भुगतान किया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर इस मद से निर्मित कार्य योजना का नाम लागत दिनांक तथा मद का नाम सिमेन्ट कंकरीट एवं बोर्ड पर अंकित कर दिया जायेगा। कार्य का सत्यापन उप जिलाधिकारियों से कराया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र फोटोग्राफ तथा सत्यापन आख्या यथा समय प्रस्तुत किया जायेगा।